संख्या- 15/2018/69/30-3-18-25बी/2013

प्रेषक,

मुहम्मद अख़लाक़ खॉ,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

परिवहन आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

परिवहन अनुभाग-3 लखनऊ दिनॉक 07 मार्च, 2018

विषय - प्रदेश के परिवहन कार्यालयों में वेबबेस्ड वाहन 4.0 - सारथी 4.0 इन्टीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट एप्लीकेशन साफ्टवेयर के क्रियान्वयन हेतु इन्टरनेट लीज्ड लाइन की सुविधा हेतु बीएसएनएल को अग्रिम भुगतान हेतु वित्तीय वर्ष 2017-18 के राजस्व पक्ष में 13-टेलीफोन पर व्यय की मद में पुनर्विनियोग द्वारा उपलब्ध करायी गयी धनराशि में से रू0 3,01,66,285.00 (रू0 तीन करोड़ एक लाख छियासठ हजार दो सौ पचासी मात्र) के अग्रिम आहरण की अनुमति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-709/कं0से0/2017-32कं0से0(कनेक्टिविटी)/08-।।, दिनॉक 13-09-2017 के सन्दर्भ में अवगत कराना है कि प्रदेश के परिवहन कार्यालयों में वेबबेस्ट वाहन 4.0 - सारथी 4.0 इन्टीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट एप्लीकेशन साफॅटवेयर के क्रियान्वयन हेतु इन्टरनेट लीज्ड लाइन की सुविधा हेतु बीएसएनएल द्वारा प्रस्तुत बिल के सापेक्ष धनराशि रू0 3,01,66,285.00 (रू0 तीन करोड़ एक लाख छियासठ हजार दो सौ पचासी मात्र) का अग्रिम भुगतान किए जाने का अनुरोध किया गया है।

2- उल्लेखनीय है कि प्रदेश के परिवहन कार्यालयों में वेबबेस्ड वाहन 4.0 - सारथी 4.0 इन्टीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट एप्लीकेशन साफ्टवेयर के क्रियान्वयन हेतु इन्टरनेट लीज्ड लाइन की सुविधा पर आने वाले व्यय को वित्तीय वर्ष 2017-18 में परिवहन विभाग की अनुदान संख्या-43 के अन्तर्गत लेखाशीर्ष-3055-सडक परिवहन-001-निदेशन तथा प्रशासन-03-अधिष्ठान व्यय के अन्तर्गत 13-टेलीफोन पर व्यय की मद में पर्याप्त धनराशि उपलब्ध न होने के कारण उक्त लेखाशीर्ष-3055-सड़क परिवहन-001-निदेशन तथा प्रशासन-46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर क्रय की मद में प्राविधानित धनराशि रू0 3500.00 लाख के सापेक्ष धनराशि रू0 166.66 लाख की संभावित बचत के दृष्टिगत उक्त मद से रू0 166.66 लाख का पुनर्विनियोग मद संख्या-13-टेलीफोन पर व्यय में आदेश संख्या-101/2017/3009/30-3-2017-25बी/2013, दिनॉक 02-11-2017 द्वारा कराया गया है।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि परिवहन आयुक्त कार्यालय, लखनऊ में प्रदेश के परिवहन कार्यालयों में वेबबेस्ड वाहन 4.0 - सारथी 4.0 इन्टीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट एप्लीकेशन साफ्टवेयर के क्रियान्वयन हेतु इन्टरनेट लीज्ड लाइन की सुविधा हेतु भारत संचार निगम लिमिटेड, लखनऊ को भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में धनराशि रू0 3,01,66,285.00 (रू0 तीन करोड़ एक लाख छियासठ हजार दो सौ पचासी मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति वित्त (लेखा) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-ए-1-2774/दस-15-1(1)/69, दिनॉक 25-10-1983, शासनादेश संख्या-ए-1-235/दस-2011-15-1(1)/69, दिनॉक 10-06-2011 तथा शासनादेश संख्या-12/2017/ए-1-873/दस-2017-15/1(1)/69, दिनांक 18-09-2017 में निहित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हुए अग्रिम आहरण की स्वीकृति एतद्द्वारा अनुमति प्रदान की जाती है :-

(1) धनराशि कार्यदायी संस्था को निर्गत किये जाने के दिनांक से उनके द्वारा वास्तविक उपयोग किये जाने की तिथि तक जो भी ब्याज (अधिकतम फिक्स्ड डिपाजिट की दर पर) अर्जित होगा, उसे राजकोष में जमा कराने का दायितव विभाग का होगा।

2/-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(2) अग्रिम के रूप में आहरित की जा रही समस्त धनराशि का परिवहन आयुक्त द्वारा समायोजन दिनॉक 31-03-2018 तक अवश्य प्रस्तुत कर दिया जायेगा।

(3) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-162 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार जो सरकारी कर्मचारी/अधिकारी धन को आहरित करेगा, वही उसके समायोजन हेतु भी जिम्मेदार होगा तथा यदि कोई क्षति होती है, तो उसके लिये भी सम्बन्धित सरकारी कर्मचारी/अधिकारी जिम्मेदार होगा।

(4) क्रय किये जाने वाले उपकरणों की गुणवत्ता एवं दर सुनिश्चित किये जाने का दायित्व परिवहन आयुक्त का होगा।

(5) परिवहन आयुक्त द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि उपकरणों की गुणवत्ता उच्चकोटि की हो एवं मूल्य प्रचलित बाजार दर से अधिक न हो।

(6) प्रक्योरमेंट मैनुअल के अध्याय-11 के प्रस्तर-11.18 के अनुसार ब्याज की देयता के सम्बन्ध में परिवहन आयुक्त अपने स्तर से आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे।

(7) विभाग द्वारा अग्रिम के रूप में आहरित की जा रही समस्त धनराशि का समायोजन महालेखाकार के पुस्तांकित आंकड़ों से करा लिया जायेगा।

4- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-43 के अन्तर्गत लेखाशीर्ष-3055-सडक परिवहन (आयोजनेत्तर)-001-निदेशन तथा प्रशासन-03-अधिष्ठान व्यय-13-टेलीफोन पर व्यय के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त विभाग के शासानादेश संख्या-एफए-1-235/दस-2011-15-1(1)/69, दिनॉक 10-06-2011 द्वारा प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकरों के अन्तर्गत जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,
ह०
(मुहम्मद अख़लाक़ खॉ)
विशेष सचिव।

संख्या-15/2018/69(1)/30-3-2018, तददिनॉक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- वित्त नियंत्रक, कार्यालय परिवहन आयुक्त, लखनऊ।
5- निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, लखनऊ।
6- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9
7- वित्त (लेखा) अनुभाग-1
8- नियोजन अनुभाग-4
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ह०
(विनोद कुमार)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in